(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1777–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–4–2013 पारित द्वारा तहसीलदार खण्डवा जिला खण्डवा प्रकरण कमांक 11/अ–6/2012–13

उमाशंकर पिता श्री नाग्या मोहे
निवासी ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा
जिला पूर्व निमाड, म0प्र0 ----आवेदक

विरूद्ध

प्रेमबाई पति हरीकिशन
निवासी ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा
जिला पूर्व निमाड, म0प्र0 ----अनावेदक

– – – – – –

श्री अमित कोल, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 17 दिसम्बर 2014)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार खण्डवा जिला खण्डवा प्रकरण कमांक 11/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 3–4–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

निरंतर...2

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार खण्डवा के समक्ष ग्राम सहेजला की भूमि खसरा कमांक 658, 514 रकवा 4.58 है, 4.72 है0 भूमि पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहते निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 20–2–2013 को संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 3–4–2013 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 32 के आवेदन को निरस्त किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया कि अनावेदक प्रेमबाई द्वारा तहसीलदार के समक्ष पूर्व में भी नामांतरण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त किया जा चुका है। अतः आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत कर तर्क किया था कि पूर्व में नामांतरण आवेदन निरस्त होने के बाद भी अनावेदक द्वारा पुनः नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, अतः रेसज्यूडीकेटा के अनुसार पुनः सुनवाई नहीं कर सकते, परन्तु तहसीलदार ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि पूर्व में निर्णीत प्रकरण की पुनः सुनवाई नहीं की जा सकती। तहसीलदार द्वारा आवेदक का धारा 32 का आवेदन निरस्त किया जो त्रुटिपूर्ण है। आवेदक अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अनावेदक ने अपने आवेदन में किस आधार पर नामांतरण चाहा गया है इसके कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त करने तथा अनावेदक का नामांतरण आवेदन निरस्त नहीं करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है।

4/ अनावेदक प्रेमबाई द्वारा स्वतः उपस्थित होकर तर्क किया कि आवेदक उसका भतीजा है। विवादित भूमि अनावेदिका के पिता की भूमि है जिसपर उसका अधिकार है। इसी आधार पर उसके द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो अभी लंबित है। इसके अतिरिक्त आवेदक अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर चुका है। अब विवादास्पद भूमि पर उसका कोई स्वत्व नहीं। तहसीलदार न्यायालय

में नामान्तरण प्रकरण में अनावेदिका अपना स्वत्व का साक्ष्य पेश करेगी। आवेदक उसका नामांतरण रोकने के लिए अनावश्यक आवेदन लगा रहा है। उसका कोई भी नामांतरण संबंधी प्रकरण तहसील न्ययालय से निर्णीत नहीं हुआ। अतः निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

5/ उभय पक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक प्रेमबाई द्वारा विवादस्पद भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई प्रारंभ की गई। निगरानीकर्ता ने धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका जबाव अनावेदिका ने दिया। आवेदक ने तहसील न्यायालय में तर्क दिया कि पूर्व में नामांतरण आवेदन अनावेदिका ने दिया था, जो निरस्त हो चुका है अतः पूर्व में आवेदन निरस्त होने पर अब पुनः प्रकरण चलाना प्राक्न्याय की बाधा है। इसके अतिरिक्त अनावेदिका द्वारा धारा 32 के आवेदन में उल्लिखित प्रतिप्रार्थी कमांक 2 एवं 3 को अपने आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया। नामांतरण किस आधार पर चाहा यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं। अनावेदिका ने तर्क दिया कि वह भूमिस्वामी जुग्गा की पुत्री है इसलिए उस का भूमि पर अधिकार है। इसलिए नामांतरण चाहा है। पूर्व में नामांतरण संबंधी कोई प्रकरण निरस्त नहीं हुआ। तहसीलदार ने विधिवत तहसील न्यायालय में आवेदन देने का निर्देश दिया था जो उसने दिया है।

6/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात आवेदन निरस्त किया है। आवेदक ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता कि विचाराधीन भूमि पर अनावेदिका के नामांतरण संबंधी प्रकरण का तहसील न्यायालय में पूर्व में निराकरण हो चुका है। अनावेदिका द्वारा भूमि पर स्वत्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा आवेदक का अपने पक्ष में दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रतिपरीक्षण करने का अधीनस्थ न्यायालय में अवसर उपलब्ध है। अतः

अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की। तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट प्रकट होता है कि इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदिका को अग्रिम तारीख की सूचना नोट न होने पर भी अनुपस्थित रहने के आधार पर प्रकरण अदम पैरवी खारिज हो चुका है। अतः यदि अनावेदिका अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो तो प्रकरण में पुनः सुनवाई प्रारम्भ की जाए तथा अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर गुण–दोषों पर प्रकरण का निराकरण करें।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार खण्डवा का आदेश दिनांक 3–4–2013 स्थिर रखा जाता है। प्रकरण गुण–दोषों पर निराकरण हेतु तहसीलदार खण्डवा की ओर भेजा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर

...धार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा)
मोबाईल नम्बर 9826022115